

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

CIN : U85100MP2014SGC032476

तिलहन संघ भवन, 01, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

URL : www.health.mp.gov.in, E-mail : procmpphscl@gmail.com

☎ : 0755-2578910, 2578911, 2578912

क्र.- 1623 / म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. / तकनीकी / 2017

दिनांक: 27.05.2017...

आदेश


M/s. Bochem Healthcare Private Limited, 83-84 Industrial Area, Dewas Road, Nagziri, Ujjain (M.P.) को औषधियों की निविदा Ref.No.67/MPPHSCL/Pharma/RC/2016, Date.05.03.2016 के तहत औषधि Tab. Ciprofloxacin IP 250 mg. की दरों के न्यूनतम होने के कारण अनुमोदित दर पर अनुबंध (Rate Contract) किया गया था।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा उपरोक्त दर अनुबंध (Rate Contract) के तहत क्रयादेश क्रमांक 10281624223 दिनांक 30 जुलाई, 2016 मात्रा 1,00,000 हेतु फर्म को दिया गया था दिए गये आदेश के परिपेक्ष्य में फर्म द्वारा औषधि Tab. Ciprofloxacin IP 250 mg., Batch No. B60421, Mfg. 08/16 Exp. 07/18 प्रदान की गई थी जिसके नमूने गुणवत्ता परीक्षण हेतु केन्द्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, मुम्बई भेजे गये थे, तत्पश्चात उक्त औषधि का बैच टेस्ट किए जाने पर गुणवत्ता परीक्षण में Assay 84.5% होने के कारण बैच को अमानक कोटी का घोषित किया गया है, जो कि निविदा की 7(i) शर्तानुसार क्षेणी 'ए' के अंतर्गत आती है।

उक्त प्रकरण के संबंध में निर्माता कम्पनी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 11 मई, 2017 को कार्पोरेशन कार्यालय द्वारा जारी किया था जिस संबंध में दिनांक 16 मई, 2017 को आपकी फर्म द्वारा दिया गया जवाब मान्य योग्य नहीं है।

कार्पोरेशन की निविदा क्रमांक 67 की Blacklisting for Quality failure के क्लॉज़ 7(i) एवं बिन्दु क्रमांक 9 के अनुसार दोषी होने के कारण ब्लैक लिस्टिंग/डीबारिंग-नीति के क्लॉज़ के तहत निर्माता फर्म M/s. Bochem Healthcare Private Limited, 83-84 Industrial Area, Dewas Road, Nagziri, Ujjain को इस आदेश को जारी करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए समस्त प्रोडक्ट हेतु डीबार करते हुए मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लि. भोपाल की निविदाओं में सहभागिता हेतु अयोग्य घोषित किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किए गये क्रयादेश/क्रय की गई औषधियों पर विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा बशर्ते औषधि गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो।

(प्रबन्ध संचालक द्वारा अनुमोदित)


मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी)
मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस
कार्पोरेशन लि. भोपाल


भोपाल, दिनांक 27/05/2017

पृ.क्र.- 1624 / म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. / तकनीकी / 2017
प्रतिलिपि:-

1. M/s. Bochem Healthcare Private Limited, 83-84 Industrial Area, Dewas Road, Nagziri, Ujjain.

निरंतर-

2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, म.प्र.शासन।
3. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुडा भवन, भोपाल।
4. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुडा भवन, भोपाल।
5. मिशन संचालक, एन.एच.एम. भोपाल।
6. प्रबन्ध संचालक, म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लि. भोपाल।
7. मुख्य महाप्रबंधक, समन्वय म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लि. भोपाल।
8. मुख्य महाप्रबंधक (वित्त एवं प्रशासन) म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लि. भोपाल।
9. मुख्य महाप्रबंधक, तकनीकी म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लि. भोपाल।
10. संयुक्त औषधि नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, ईदगाह हिल्स, भोपाल।
11. समस्त अधिष्ठाता, संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज, मध्यप्रदेश।
12. उपसंचालक, औषधि प्रकोष्ठ, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल।
13. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश।
14. समस्त महाप्रबंधक, उपार्जन/इनवेन्ट्री/उपकरण/वित्त म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लि. भोपाल।
15. समस्त विशेष अस्पताल एवं समस्त अस्पताल गैस राहत, मध्यप्रदेश।
16. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन, मध्यप्रदेश।
17. समस्त चिकित्सा सेवा निगम, गुजरात/केरल/तमिलनाडू/बिहार/छत्तीसगढ़/पश्चिम बंगाल/कर्नाटक/हरियाणा/महाराष्ट्र/जम्मू कश्मीर।
18. आदेश नस्ती।


मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी)
मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस
कार्पोरेशन लि. भोपाल